रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092021-229453
CG-DL-E-07092021-229453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3322]	**नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर, 6, 2021/भाद्र 15, 1943**
No. 3322]	**NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943**

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

का.आ. 3627(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 215ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का, उक्त अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तयों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, गठन करती है।

2. बोर्ड का मुख्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा और बोर्ड भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

3. बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :

क. अध्यक्ष और ऐसे व्यक्तियों जो उपरोक्त अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंड को पूरा करते है, में से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अन्यून किंतु सात से अनधिक सदस्य :

परंतु कोई व्यक्ति—

i. अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नही किया जाएगा, जब तक कि उसने उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों में उल्लिखित क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में तीस वर्ष के न्यूनतम अनुभव सहित पचपन वर्ष की आयु प्राप्त नही कर ली हो;

ii. सदस्य के रूप में नियुक्त नही किया जाएगा, जब तक कि उसने उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों में उल्लिखित क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में बीस वर्ष के न्यूनतम अनुभव सहित पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त नही कर ली हो ।

ख. भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का उप सचिव से अन्यून पंक्ति का एक प्रतिनिधि, जो पदेन-सदस्य होगा ।

ग. राज्यों से भारत सरकार के उप-सचिव से अन्यून पंक्ति के सदस्य, आवश्यकतानुसार, पदेन-सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी - 16011/01/2015-आरएस(भाग 2)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2021

S.O. 3627(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 215B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby constitutes the National Road Safety Board, to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under the said Act.

2. The head office of the Board shall be in the National Capital Region referred to in clause (f) of section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), and the Board may establish offices at other places in India.

3. The Board shall consist of:

a. the Chairman and not less than three but not exceeding seven Members to be appointed by the Central Government from amongst the persons who fulfil the criteria specified in the rules, made under the aforesaid Act:

Provided that a person shall not be appointed as –

i. Chairman, unless he has attained fifty five years of age coupled with a minimum experience of thirty years in any of the fields mentioned in the rules made under the said Act;

ii. a Member, unless he has attained forty five years of age coupled with a minimum experience of twenty years in any of the fields mentioned in the rules.

b. a representative of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, not below the rank of Deputy Secretary, shall be an ex-officio Member.

c. members from the States, not below the rank of Deputy Secretary in Government of India, shall be nominated as ex-officio Members, as per requirement.

[F. No. RT-16011/01/2015-RS (Pt.2)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM